

राजस्थान वित्त निगम

नागरिक अधिकार पत्र

राजस्थान वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1955 में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। निगम अपनी स्थापना से राज्य के औद्योगिक विकास में योगदान दे रहा है। निगम उदारतम शर्तों पर साधारण, विशेष वर्ग के उद्यमियों को दीर्घकालीन ऋण एवं कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करता है।

1 निगम का लक्ष्य

निगम अपने विद्यमान तथा सम्भावित उद्यमियों को दक्षतापूर्ण व समयबद्ध सेवा प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर है ताकि राज्य में औद्योगिक विकास एवं उद्यम का सौहार्द निरन्तर बना रहे। कार्यप्रणाली में गति, सरलीकरण व पारदर्शिता तथा अपने व्यवहार में मधुरता व विनम्रता लाकर उद्यमियों की सेवा करना ही निगम का लक्ष्य है।

2 निगम की ऋण योजनाएं

वित्त निगम द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित मुख्य ऋण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं -

1. सामान्य ऋण योजना
2. सर्विस सेक्टर हेतु ऋण योजना
3. रियल एस्टेट सेक्टर हेतु ऋण योजना
4. एकल खिडकी ऋण योजना
5. प्रोफेशनल हेतु ऋण योजना
6. फाइनेन्सिंग अगेन्स्ट असेट्स ऋण योजना
7. किराये की भूमि/भवन पर ऋण योजना
8. स्विच ओवर ऋण योजना
9. सरल ऋण योजना
10. टॉप अप ऋण योजना
11. राज्य में स्थापित होने वाले सोलर उर्जा से संबंधित उद्योगों पर ऋण योजना
12. उद्योग, होटल एवं अस्पताल के लिए रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूखण्ड हेतु योजना
13. स्पेशल लोन स्कीम फॉर मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट (जिनके पास इम्पोर्ट लाइसेंस हो)
14. युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना
15. इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी हेतु योजना
16. कार्यरत गेस्ट हाउसों के लिए सरल ऋण योजना
17. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

Sh

गुड बॉरोअर्स ऋण योजनाएं

18. लघु अवधि ऋण योजना (एस.टी.एल.)
19. कार्यशील पूंजी ऋण योजना
20. गोल्ड कार्ड ऋण योजना
21. प्लेटीनम कार्ड ऋण योजना
22. यूनिट्स प्रमोटेड बाई गुड बॉरोअर्स योजना
23. फ्लेक्सी ऋण योजना

3 ऋण सीमा

राजस्थान वित्त निगम राज्य में संक्षुभ, लघु एवं मध्यम उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एकल स्वामित्व, साझेदारी व ट्रस्ट इकाइयों के लिए 800 लाख रुपये तक, कम्पनी एवं सहकारी समितियों के लिए 2000 लाख रुपये तक ऋण स्वीकृत किया जाता है।

4 ऋण आवेदन

निगम से ऋण प्राप्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में भरा गया आवेदन पत्र मय आवेदन शुल्क निगम के किसी भी शाखा कार्यालय/मुख्यालय में जमा कराया जा सकता है जिसके लिये आवेदन फार्म एवं शुल्क निम्नानुसार है

(i) आवेदन फार्म शुल्क

निगम में साधारणतः ऋण की राशि के आधार पर निम्न प्रकार के आवेदन फार्म दिये जाते हैं -

रुपये 2.00 लाख तक के ऋण हेतु फार्म	50/-रुपये
रुपये 2.00 लाख से अधिक ऋण हेतु फार्म	200/-रुपये
गुड बॉरोअर्स योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित ऋण प्रार्थना पत्र रुपये 100/- के शुल्क पर शाखा कार्यालयों अथवा मुख्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।	

(ii) आवेदन शुल्क

आवेदित राशि	आवेदन शुल्क
रुपये 25,000 तक	रुपये 25.00
रुपये 25000/- से 50000/- तक	रुपये 50.00
रुपये 50000/- से 2.00 लाख तक	रुपये 200.00
रुपये 2.00 लाख से 5.00 लाख तक	रुपये 400.00
रुपये 5 लाख से अधिक (रु. 100 प्रति लाख या उसके अंश पर)	आवेदित राशि के प्रति लाख पर 0.1 प्रतिशत

5 ऋण स्वीकृति प्रक्रिया

आवश्यक मापदण्ड

प्रवर्तक का अंशदान	परियोजना राशि का कम से कम 33%
डेब्ट इक्विटी अनुपात	2:1 से अधिक नहीं
प्रतिभूति मार्जिन	
अ. सामान्य प्रकरण में	30 %
ब. फॉब्रिकेटेड आइटम्स, डार्डज व मोल्डस फर्नेस, फर्नीचर व फिक्सचर (होटल ऋण उपकरणों में)	50 % 50 %
डेब्ट सर्विस कवरेज अनुपात(डी.एस.सी. आर.)	1.70:1 से कम नहीं

(i) ऋण स्वीकृति हेतु प्रदत्त शक्तियां

प्रोजेक्ट का मूल्यांकन निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किये जाने के उपरांत ऋण की मंजूरी सक्षम अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर की जाती है।

मुख्यालय स्तर पर –

एकज्यूकेटिव कमेटी (Executive Committee)	2000.00 लाख रुपये तक
प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड कंसल्टेटिव कमेटी (PC&CC)	1000.00 लाख रुपये तक
कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड कंसल्टेटिव कमेटी (PC&CC)	500.00 लाख रुपये तक
महाप्रबन्धक (आपरेशन) की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड कंसल्टेटिव कमेटी (PC&CC)	300.00 लाख रुपये तक

शाखा कार्यालय स्तर पर –

सक्षम अधिकारी	(राशि लाखों में)
नोडल अधिकारी / उप महाप्रबन्धक (शाखा) / प्रबन्धक (शाखा) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण सलाहकार कमेटी (DLAC)	200.00
उप प्रबन्धक (शाखा) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण सलाहकार कमेटी (DLAC)	100.00

समस्त स्थायी परिसम्पत्तियों पर निगम का प्रथम प्रभार रहता है। अतिरिक्त प्रतिभूति जोखिम, ऋण राशि व प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर कोलेटरल सिक्योरिटी ली जाती है।

(स) प्रोसेसिंग चार्जेज

उद्यमी द्वारा निर्धारित प्रोसेसिंग चार्जेज जमा कराने के उपरांत ऋण स्वीकृति पत्र 7 दिवस में जारी किया जाता है ।

(ii) तत्काल सैद्धान्तिक स्वीकृति

जिला स्तर आंतरिक प्रोसेसिंग कमेटी (इंटरनल प्रोसेसिंग कमेटी-आईपीसी) और मुख्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड कंसल्टेटिव समिति (पीसी एण्ड सीसी) जिसमें कि विभिन्न अनुभागों के वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य होते हैं, के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकतम दो सप्ताह (10 कार्य दिवस) के भीतर ही इसकी जांच करने के बाद पूर्ण दस्तावजे होने पर परियोजना की उपयोगिता/सम्भाविता आदि की जांच पूरी कर सैद्धान्तिक रूप से उस वित्त पोषित करने की स्वीकृति दे दी जाती है ।

(iii) ऋण स्वीकृति प्रोजेक्ट की व्यावहारिकता और अपेक्षित विभिन्न निवेशों की उपलब्धता के संबंध में प्रोजेक्ट का विस्तृत रूप से मूल्यांकन किया जाता है ।
ऋण आवेदन पर समस्त वांछित सूचनाएं/दस्तावजे प्राप्ति के 60 दिन के भीतर निर्णय लिया जाता है ।(iv) सम्पत्तियों पर प्रभार

समस्त स्थायी परिसम्पत्तियों पर निगम का प्रथम प्रभार रहता है। अतिरिक्त प्रतिभूति जोखिम, ऋण राशि व प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर ली जाती है।

(v) पुनर्भुगतान

ऋण का पुनर्भुगतान ऋणी को सामान्यतः 3½ से 10 वर्ष में करना होता है । यह अवधि व्यक्तिगत इकाई की अनुमानित नकद प्रवाह तथा ऋण चुकाने की क्षमता के आधार पर सुनिश्चित की जाती है।

(vi) मोर्टोरियम

पुनर्भुगतान की अवधि में 6-18 माह की पुनर्भुगतान अवधि (मोर्टोरियम पीरियड) भी शामिल होती है, परन्तु ब्याज प्रति त्रैमासिक के प्रथम दिन देय होता है ।

(vii) ब्याज की दरें

निगम की ब्याज दरें बैंक स्रोत एवं सिडबी द्वारा निर्धारित दरों पर आधारित होती हैं जो समय-समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। उल्लेखनीय है कि हमारी ब्याज दरें अन्य वित्तीय संस्थाओं की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धात्मक हैं।

6 वैधानिक दस्तावेजीकरण

प्रत्याभूति का मूल्यांकन अनुभवी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है और संबंधित उप महाप्रबन्धक/प्रबन्धक/उप प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक उनकी रिपोर्ट और सम्पत्ति के हक दस्तावेज स्वीकार करने के लिए अधिकृत है। दस्तावेजीकरण आवश्यक दस्तावेजों तथा प्रपत्रों के प्रस्तुत करने के तुरन्त पश्चात् 15 दिवस के भीतर किया जाता है।

7 ऋण वितरण

ऋण वितरण की कार्यवाही उद्यमी द्वारा ऋण दस्तावेजों के निष्पादन, ऋण स्वीकृति पत्र की शर्तों की पालना के पश्चात् अपने अंशदान के विनियोजन और सम्पत्तियों के सृजन के तुरन्त बाद आरम्भ हो जाती है। मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रस्तुति के 24 घंटों के अंदर, जो राशि देय बनती है, उसका वितरण कर दिया जाता है।

8 प्रशासनिक व्यवस्था

(i) सतर्कता प्रकोष्ठराजस्थान वित्त निगम में कार्यकारी निदेशक को निगम का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया हुआ है जिनके द्वारा उद्यमियों की शिकायतों/सुझावों पर उचित कार्यवाही की जाती है।

(ii) एस.एल.सी
उद्यमियों को ऋण भुगतान में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए निगम ने मुख्यालय स्तर पर समिति का गठन किया हुआ है जो ऋण भुगतान में आने वाली समस्या को उद्यमी से सुनकर उसके खाते का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करती है।

(iii) सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचनाएँ प्राप्त करने की व्यवस्था

(अ) राज.वित्त निगम ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू होने के पश्चात् अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्न प्रकार की है -

- I) महाप्रबन्धक(ऑपरेशन्स) राजस्थान वित्त निगम लोक सूचना अधिकारी (मुख्यालय स्तर पर)
- II) समस्त शाखा प्रबन्धक राजस्थान वित्त निगम लोक सूचना अधिकारी (शाखा क्षेत्राधिकार स्तर पर)
- (ब) महाप्रबन्धक(वित्त) समस्त लोक सूचना अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई अपील की सुनवाई व निर्धारण हेतु प्रथम अपील अधिकारी ।
- (स) सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 4 के अनुसार समस्त सूचनाएँ निगम द्वारा वेबसाइट [:info@rfc.rajasthan.gov.in](mailto:info@rfc.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध हैं ।

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
NAME OF BRANCH OFFICES ALONGWITH BRANCH
MANAGERS OF THE CORPORATION as on 01.12.2020

S.No.	Name of Offices	Name of Officer Sarva Shri	Telephone/Mobile No.	
			Office	Mobile No.
	Name of B.O.			
1	BO, Udaipur	Praveen Parakh, DM	(0294)2493153	9414097680
2	BO, Bhilwara	B L Menaria, DM	(01482)220712	9414097604
3	BO, Kishangarh	K L Gulecha, DM	(01463)297007	9414097635
4	BO, Jodhpur	Aika Saluja, DM	(0291)2438286	9414097587
5	BO, Jodhpur-II	R K Gandhi, DM	(0291)2430949	9413062313
6	BO, Abu Road	H K Panwar, DM	(02974)226393	9414097624
7	BO, Pali	M C Purohit, DM	(02932)231262	9414097645
8	BO, Jaipur(Central)	K C Bunkar, DM	(0141)2369784	9414097933
9	BO, Dausa	Ghasi Lal Meena, DM	(01427)223547	9414822125
10	BO, Jaipur(North)	D K Achha, Mgr	(0141)2330538	9414097613
11	BO, Sikar	Raj Kumar, DM	(01572)245552	9414097688
12	BO, Jhunjhnu	Raj Kumar, DM	(01592)250322	9414097688
13	BO, Kota	Arun Gupta, Mgr.	(0744)2411658	9414097476
14	BO, Jhalawar	N L Baheti, AM	(07432)232219	9414097663
15	BO, Sawai Madhopur	Ajeet Ku. Jain, DM	(07462)220430	9413732481
16	BO, Jaipur(South)	Nand Lal Meena, Mgr	(0141)2770433	9414097657
17	BO, Alwar	Rajesh Tankha, Mgr	(0144)2700754	9414097685
18	BO, Bhiwadi	Shiv Kumar Sharma, DM	(01493)224125	9414097702
19	BO, Bharatpur	Vijay Bhargava, DM	(05644)222779	9414097613
20	BO, Bikaner	Suresh Kumar, DM	(0151)2200918	9414097715
21	BO, Sriganganagar	Suresh Kumar, DM	(0154)2440306	9414097715
22	BO, Makrana	K L Gulecha, DM	(1588)241102	9414097635